श्री कान्ति लाल साह सिमखेत/गैरतोली सोपस्टोन माइन्स तहसील व जनपद बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.02.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री कान्ति लाल साह सिमखेत/गैरतोली सोपस्टोन माइन्स तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (8.303 है0 क्षेत्रफल) खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित 2009 के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 11.01.2023 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के कम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 16.02.2023 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदकम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2023 को परियोजना स्थल ग्राम सिमखेत/गैरतोली तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 डी0के0 जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री चन्द्र सिंह इमलाल तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्निजन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड नोएडा उ0प्र0 के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है परिणामों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित क्षेत्र की मिट्टी किसी भी प्रदूषणकारी स्त्रोतों से दूषित नहीं है।

कमशः– 2

मानसून के पहले 05 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत भूजल के नमूनों की जांच की गयी जो भौतिक–रासायनिक प्रवालन के पानी के मानकों के लिए निर्धारित सीमा के भीतर हैं। साथही जल विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नमूनों के अधिकांश मापदण्डों का अनुपालन होता है, किन्तु रिपोर्ट में इंगित फ्लोराइड परिचालन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्र0नि0बोर्ड द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पृच्छा की गयी।

खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है। प्रस्तावित क्षेत्र में दिन व रात में शोर के स्तर की जांच की गयी जो सीपीसीबी की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। पर्यावरण के क्षेत्र में जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। खनन परियोजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राथमिक चिकित्सा के रूप में प्रदान की जायेगी। परियोजना की कुल प्रस्तावित सीईआर लागत रू0– 3,46,595.00.00 तथा वृक्षारोपण एवं संरक्षण हेतु कुल बजट रू0– 9,62,500.00 प्रस्तावित है। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपशिष्ट पदार्थ भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी। आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरण सलाहकार को निर्देशित किया गया कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य संवेदनशीलता से धरातल पर किया जाय तथा खनन कार्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए किया जाय।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी

क्रमशः - 3

प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री गिरीश चन्द्र जोशी पूर्व प्रधान सिमखेत/सिरौली बागेश्वर– श्री जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्ताव द्वारा गांव सिमखेत/गैरतोली अन्तर्गत खनन परियोजना प्रस्तावित कर खनन कार्य करना चाह रहे हैं जिससे स्थानीय ग्रामीण को रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए गांव व वन पंचायत को गोद लेकर प्राथमिक विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण करें। खनन परियोजना से हमे कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री मदन मोहन तिवारी सिमखेत बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना रोजगार के दृष्टिगत सही है। परियोजना से गांव के विकास में सहयोग मिलेगा। हमें परियोजना के स्थापित होने में कोई आपत्ति नहीं है। परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत स्थल चिन्हित कर पौधरोपण करें जिससे भू–स्खलन की सम्भावना कम होगी।
3. श्री अशीष तिवारी निवासी ग्राम सिमखेत बागेश्वर– श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र से लो0नि0वि0 द्वारा मोटर मार्ग का सर्वे किया गया है। मोटर मार्ग ग्रामीणों की जरूरत है यदि परियोजना प्रस्तावक को कोई आपत्ति न हो तो, यदि खनन क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावक को मोटर मार्ग से आपत्ति है तो दूसरी सर्वे की जाय। इस संबंध में श्री गिरीश चन्द्र जोशी द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में मुस्योली गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु लो0नि0वि0 द्वारा घिंघारतोला से सिमखेत–गडेलीखेत तक प्रस्तावित खनन क्षेत्र से मोटर मार्ग की सर्वे की थी। मोटर मार्ग के खनन क्षेत्र से सर्वे होने से आपत्ति की गयी है। घिंघारतोला से सिमखेत–तिवारीखोला–सिरौली मोटर मार्ग का मिलान उडेरा, बसेत तक किये जाने का अनुरोध किया गया जो खनन क्षेत्रान्तगत नहीं है जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को मोटर मार्ग का लाभ प्राप्त होगा का प्रस्ताव रखा गया।
4. श्री सुबोध साह (परियोजना प्रस्तावक)– श्री साह जी द्वारा सर्वप्रथम जनसुनवाई समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी महोदया एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्र0नि0बो0, हल्द्वानी का स्वागत/अभिनन्दन करते हुए स्पष्ट किया गया कि पौधरोपण कार्य सार्वजनिक स्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं विद्यालयों में किया जाना सुरक्षित है क्योंकि अन्य स्थानों पर देखभाल के अभाव में पौधे नष्ट हो जाते हैं जिसका लाभ पर्यावरण को नहीं मिल पाता है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि वृहत रूप में पौधरोपण वन व वन पंचायत में ही सम्भव है जिसमें वन पंचायत का सहयोग नितान्त आवश्यक है। पौध रोपण को प्राथमिक स्तर पर ही संरक्षित करना पड़ेगा जो वन पंचायत के सहयोग से ही सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी, प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी, ग्रामीणों का स्वागत एवं जनसुनवाई को सम्पन्न कराये जाने में सहयोग प्रदान किये जाने वाले कार्मिकों को स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि क्षेत्रान्तर्गत उद्योग के स्थापित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। माइनिंग के साथ–साथ पर्यावरण को भी बचाना होगा।

क्रमशः–4

खनन कार्य करने से वन सम्पदा को निश्चित रूप से हानि होती हैं पर्यावरण को इस हानि से बचाने हेतु वन पंचायत के सहयोग से वनों में वृहद वृक्षारोण करना पड़ेगा। जिसकी देख–रेख परियोजना प्रस्तावक अपने स्तर से करायेंगे। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगाये गये 50 प्रतिशत वृक्षों को भी संरक्षित किया जाता है तो यह पर्यावरण एवं उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पर्यावरण सलाहकार द्वारा कॉस्ट एस्टिमेट्स में जो कुल सीईआर फण्ड का प्राविधान किया गया है उसमें ग्रामीणों की जरूरत एवं उनकी सलाह के आधार पर ही कार्यवाही करें। सीईआर फण्ड का ग्रामीणों के नौले, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, विद्यालयों का जीर्णोधार आदि का कार्य ग्रामीणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ही करें। परियोजना प्रस्तावक अपने खनन क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कार्य करें जो दूसरे खनन पट्टाधारकों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनें। जनपद बागेश्वर को प्रकृति की यह धरोहर है कि यहां पर अधिकांश क्षेत्र सोप स्टोन से आच्छादित है। खनन कारोबारी मात्र अपना हित न देखकर पर्यावरण को भी संरक्षित करें। मैं आशा करता हूँ कि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों के सुझावों के आधार पर कार्य करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोकसुनवाई सम्पन्न कराये जाने हेतु पुनः सभी ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र सिंह इमलाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।